

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/एफ-4/विदेश यात्रा/1260/2019/

दिनांक—24.04.2019

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा,

अजमेर।

विषय— श्रीमति कामिनी अग्रवाल अध्यापिका राउप्रावि बावडी बडल्या प.स. श्रीनगर अजमेर को विदेश यात्रा की अनुमति बाबत।

प्रसंग—आपका पत्रांक 60 दिनांक 05.04.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, श्रीमति कामिनी अग्रवाल अध्यापिका राउप्रावि बावडी बडल्या प.स. श्रीनगर अजमेर कि जिनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.2011 है तथा राज्य सेवा मे स्थाई रूप से कार्यरत है, को दिनांक **12.05.2019** से **18.06.2019** तक की अवधि में **अमेरिका** हेतु विदेश यात्रा की अनुमति निम्नांकित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:—

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
 2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार मे आवेदित अवकाश मे किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 3. विदेश मे किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
 4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
 5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं ना ही राजकीय स्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
 6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
 7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
 8. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्तों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराएँगे।
 9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
 10. विदेश यात्रा अवधि मे शाला मे अध्ययन कार्य बाधित नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।
 11. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्मिक के मुख्यालय छोड़ने तथा अवकाश के सम्बन्ध में सक्षम स्वीकृति पूर्व में ही प्राप्त कर यात्रा पर प्रस्थान करावें।
- उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ:—

1. श्रीमति कामिनी अग्रवाल अध्यापिका राउप्रावि बावडी बडल्या प.स. श्रीनगर अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर